ऐस्केपिंग वॉयलेंस पेयमेंट (हिंसा से बचने के लिए भुगतान)

क्या आपने, या आपके किसी जानकार ने अंतरंग साथी द्वारा की जाने वाली हिंसा से निकलने की कोशिश की है या इससे निकल चुके/चुकी हैं? अंतरंग साथी वह व्यक्ति होता है जिसके साथ आप रूमानी संबंध (रोमांटिक रिश्ते) में रहे/ही हैं जैसे कि पति, पत्नी, जीवनसाथी, प्रेमी या प्रेमिका।

यदि आप एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी हैं, आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आपने हाल ही में अपनी रहन-सहन की स्थितियों में परिवर्तन किया है तथा आप वित्तीय तनाव का सामना कर रहे/ही हैं, तो आप ऐस्केपिंग वॉयलेंस पेयमेंट [ईवीपी (EVP)] कार्यक्रम के लिए पात्र हो सकते/ती हैं।

ईवीपी कार्यक्रम आपको आगे बढ़ने और हिंसा से मुक्त घर स्थापित करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ईवीपी कार्यक्रम ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा समर्थित है और इसका संचालन यूनाइटिंगकेयर (UnitingCare) नेटवर्क द्वारा किया जाता है। हर राज्य और राज्य-क्षेत्र में आपकी मदद के लिए ईवीपी टीमें उपलब्ध हैं।

यह काम कैसे करता है?

ईवीपी कार्यक्रम $5,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें शामिल हैं:

- $1,500 तक नकद (या नकद के समान कुछ और)
- रिमूवलिस्ट, बॉन्ड या घरेलू वस्तुओं जैसे सामानों और सेवाओं में $3,500 तक।

इस वित्तीय सहायता का मिश्रण आपकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित होगा।

क्या मैं पात्र हूँ?

ईवीपी प्रोग्राम उपलब्ध है यदि आप/आपकी:

- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है
- एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, स्थायी निवासी या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक संरक्षित विशेष श्रेणी वीज़ा के धारक हैं
- अंतरंग साथी द्वारा की जाने वाली हिंसा के कारण पिछले 12 सप्ताहों में आप अपने रहन-सहन की व्यवस्थाओं को बदलने की योजना बना रहे/ही हैं या बदल चुके/की हैं
- वित्तीय तनाव का सामना कर रहे/ही हैं और आपने पिछले 12 महीनों में ईवीपी का उपयोग नहीं किया है।

मैं भुगतान तक पहुँच कैसे प्राप्त करूँ?

आप वेबसाइट **unitingvictas.org.au/escaping-violence-payment** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते/ती हैं। यदि आपको अपना आवेदन पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है, तो 1800 387 387 पर कॉल करें। या यदि आपके पास एक सहायता कार्यकर्ता है, तो वे आपके आवेदन के साथ आपकी सहायता कर सकते/ती हैं और आपकी ओर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते/ती हैं।

और अधिक जानने के लिए स्कैन करें

ईवीपी कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, unitingvictas.org.au/escaping-violence-payment पर जाएं

कृपया ध्यान रखें कि ईवीपी कार्यक्रम एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा नहीं है। यदि आप खतरे में हैं, तो तुरंत **000** पर कॉल करें।

यदि सुरक्षा योजना बनाने में आपको समर्थन चाहिए, तो आप **1800 RESPECT** या **1800 737 732** को या उनकी ऑनलाइन चैट सेवा से संपर्क कर सकते/ती हैं।

Hindi | हिन्दी

ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्त पोषित

Australian Government
Department of Social Services

Uniting | UnitingCare Australia | UnitingCare | Uniting Communities | Uniting Country SA | UCWB | Uniting SA | Wesley Mission